



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-26112022-240601  
CG-RJ-E-26112022-240601

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5272]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944

No. 5272]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 15 नवम्बर, 2022

का.आ. 5502(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 02 सितम्बर 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना का. आ. 4135 (अ) दिनांक 23 अगस्त 2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् डेगाना- राई का बाग दोहरीकरण परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों "राजस्थान पत्रिका" व "दैनिक भास्कर" में तारीख 09 सितम्बर 2022 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 20 घ (2) के अन्तर्गत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 व रेलवे (संशोधन) की धारा 20 ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित की तिथि के 30 (तीस) दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 च (4) एवम् (5) के अनुसरण में अपना दावा व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी एजेंट अथवा विधि व्यवसायी के मार्फत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवम् उप खण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में भूमि के दावे की प्रकृति दर्शाते हुए प्रस्तुत कर सकेगा।

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

रेलवे की स्पेशल परियोजना राईका बाग - डेगाना दोहरीकरण हेतु ग्राम जाजीवाल खिचियान चक 3 देवरा तहसील/जिला जोधपुर की अवाप्तिधीन संरचना रहित व संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	खसरा सं.	किस्म भूमि	कुल रकबा	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर)	भू स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम	विशेष विवरण
1	32	बारानी।	48.08	0.0550	भानाराम, नारायणराम, तेजाराम, बुधाराम, सुरताराम पि. गोकलराम, कालूराम, लालाराम पि. कंवाराम, मांगीलाल पि. प्रेमराम, खेताराम, लिखमाराम, केसाराम पि. धर्मराम, मंगाराम, बक्षीराम, खियाराम पि. लाबुराम, गजेन्द्र चौधरी पि. हेमाराम, गेरीदेवी बेवा हेमाराम जाति जाट	रहन-एस बी आई, बनाड एवं यूको बैंक, बनाड

[फा. सं. उपरे/मुख्या.सा.&नि.4435 99200 भाग-2]

वृजेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organisation)]

### NOTIFICATION

Jaipur, the 15th November, 2022

**S.O. 5502(E).**—Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), No S.O. 4135(A) dated 23<sup>rd</sup> August 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub Section (ii) dated 02 September (hereinafter referred to as the said notification), under sub section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Special Railway Project, namely Degana-Rai ka Bagh Doubling project in District Jodhpur in the state of Rajasthan.

And, whereas, the substance of the said notification were published in daily local newspapers “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” dated 09<sup>th</sup> September, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said act;

And, whereas, the competent authority has not received any objections under sub section (2) of the section 20D of the act.

And, whereas, in pursuance of sub section (1) of section 20E of the said act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

Any person interested in the said land may submit their claims either in person or by an agent or by a legal practitioner under sub section (4) & (5) of section 20F of the said act, at Sub-Divisional Officer and Competent Authority (Land Acquisition) Office, Jodhpur North in any working day within a period of 30 (Thirty) days from the date of publication of this notification in the official gazette.

And, further in pursuance of sub section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief Detail Of With And Without Structures Land of Village Jajiwal khichiyan chak 3 Devra of Jodhpur  
Tehsil/District Of Rajasthan State To Be Acquired For Degana-Raika Bagh Doubling Project**

S. No.	Khasra No.	Type of land	Total Area	Proposed Area (Ha)	Names of land owners / interested persons	Remarks
1	32	Barani	48.08	0.0550	BhanaRam, NarayanRam, TejaRam, BudhaRam, SurtaRam S/o GokalRam, KaluRam, LalaRam S/o KanwaraRam, MangiLal S/o PremaRam, KhetaRam, LikhmaRam, KesaRam S/o DharmaRam, MangaRam, BakshiRam, KhinyaRam S/o LabuRam, Gajendra Choudhary S/o HemaRam, GeriDevi W/o HemaRam Caste Jat	Rahan – SBI, Banar & UCO Bank, Banar

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.II]

BRIJESH KUMAR GUPTA, Chief admn. officer (Construction)